न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 41/2016

इकबालसिंह पुत्र दोलतसिंह जाति मजहबी निवासी चक 47 जी जी प्रथम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। ——— **अपीलार्थी**

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर।
2. चरणजीत कोर पत्नी हरचन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 47 जीजी प्रथम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

——रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी पदमपुर

दिनांक 07.12.2015

उपस्थितिः—

श्री बलजीतसिंह बराड़ अपीलांट।

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय **दिनांकः 13.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है तहसीलदार पदमपुर ने उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष राजस्व अभियान 2008 कैम्प 8 एन एन ए में एक वाद रा.का.अ. की धारा 175 का पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 46 जीजी के मु.न. 50 के कि.न. 1 से 5, 8 से 10 की 2.024 है. भूमि गैर—खातेदारी है। प्रतिवादी सं.1 व उसके वारिसान यहां आबाद नहीं है न ही उनका अता पता है तथा इनका इस भूमि पर लम्बे से कब्जा काश्त नहीं होने से उनके हक समाप्त हो चुकें है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार कब्जा प्रतिवादी सं0 2 का है । प्रतिवादी सं.1 अनु.जाति का एवं प्रतिवादी सं.1 सवर्ण जाति का सदस्य है । इस प्रकार प्रतिवादी सं. 2 का रा. का. अ. की धारा 42 के तहत अवैध कब्जा होने से विवादित भूमि को सिवाय चक दर्ज करने के आदेश

13/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दिये जावे । उपखंड अधिकारी करणपुर ने दिनांक 09.01.2008 को पत्रावली कायम कर उसी दिन वादी का वाद स्वीकार कर विवादित भूमि को सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की जो दिनांक 10.03.2014 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया ।

प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 22.04.14 को पत्रावली पेशी में लेते हुए सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 7.12.15 को वादी का वाद स्वीकार करते हुए विवादित भूमि को सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया अधी.न्यायालय द्वारा इस न्यायालय कि रिमाण्ड आदेश की पालना नहीं की गई एवं विवादित भूमि का किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं हुआ है। अपीलांट दौलतसिंह का पुत्र है उसके होते हुए विवादित भूमि लावारिस नहीं मानी जा सकती तथा न ही सरकारी की जा सकती है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट का कब्जा काश्त न होकर सवर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय द्वारा सरकार की ओर से प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर भूमि को सिवाय चक करने के आदेश देने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 07.12.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 14.03.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका

13/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का मुख्य सार बिन्दु है कि विवादित आराजी मृतक दौलतसिंह की होना रेकार्ड से प्रमाणित होता है। दौलतसिंह की मृत्यु उपरान्त उसकी कृषि भूमि रा. का. अ. 1955 की धारा 40 के अनुसार devolve योग्य है बाबत इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.14 speaking होकर पत्रावली रिमाण्ड की गई थी परन्तु अधी.न्यायालय द्वारा इकबालसिंह का भूमि पर कब्जे की Locus - standie सिद्ध नहीं होने से दावा इकबालसिंह के विरूद्ध निर्णित हुआ है । पत्रावली पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिसनामा प्रमाण पत्र दिनांक 22.12.08 में इकबालसिंह दौलतसिंह का पुत्र होकर वारिस प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है, के अतिरिक्त राशन कार्ड इत्यादि अवलोकनीय दस्तावेज है जिन्हें अधी. न्यायालय द्वारा विवेचित नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.12.2015 निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि मृतक दौतलतसिंह की कृषि भूमि रा.का. आ 1955 की धारा 40 के प्रावधानुसार devolve योग्य होने से पुनः साक्ष्य, गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर